	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 3, सोमवार, *शाके* 1943–मई 24, 2021 *Jyaistha 3, Monday, Saka 1943- May 24, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 24, 2021

एस.ओ.234-244-248-304 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. 234 दिनांक 03.05.2020, एस.ओ. 244 दिनांक 12.05.2020, एस.ओ. 248 दिनांक 21.05.2020 एवं एस.ओ. 304 दिनांक 27.07.2020 जो राजपत्र में प्रकाशित हुई है एवं जिनमें समय-समय पर यथासंशोधित में, निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 1 व 2 एवं उनकी प्रविष्ठियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"

1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	1000/-
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना एवं दुकान पर गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) की पालना नहीं किये जाने पर।	500/-

"

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

सीमा कुमार,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.